



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक: 29/अप्रैल/2014-15

दिनांक: 17-01-2015

मानचित्र संख्या: 424/जोन-5/2014-15

मानचित्र स्वीकृति पत्र

सेवा में,

मी0 बुटिलिटी एस्टेट प्रा0 लि0,
लीड नंबर मी0 एम्बर एमजी.एफ. सैण्ड लि0 (कन्सोर्शियम)
जी-79, प्रीत विहार
दिल्ली।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप द्वारा ग्राम-शाहपुर समूह व मंडरीली में प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना के स्वीकृत तालपट मानचित्र के अन्तर्गत हुए हाउसिंग भूखण्ड सं0-3/1, पर अपने स्वामित्वाधीन 22113.890 वर्ग मी0 भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग एवं ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भवनों के मानचित्र को स्वीकृति उपर्युक्त महोदय द्वारा दिनांक 27.12.14 को निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय विकास (जैसे नगर पालिका, बी.डी.ओ.) अथवा किसी अन्य व्यक्ति या अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। भूमि सम्बन्धी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
3. भवन मानचित्र किस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोजन में लाया जायेगा।
4. बिजली की लाइन से निर्धारित सीमा के अन्दर एवं भवन उपविधि के नियमों के अनुसार कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
5. सड़क सर्विस लेन अथवा सड़क पर भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्टिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा रेंड्रॉ रानी को निकासी का पूर्ण प्रबंध स्वयं करना होगा।
6. स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट स्थल पर रखा होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी विम्वेस्टरी नहीं की होगी।
7. यह मानचित्र डीआर नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं जो वह शर्त भी मान्य होगी।
8. सड़क पर अवकाश लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेन्ड्रॉ नहीं बनाने जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
9. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
10. प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 28.10.2014 का पालन करना होगा।
11. भवन की कुल निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि की अवशेष धनराशि नियमानुसार लेबर सैस की मद में यू.पी.बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स. वेलफेयर बोर्ड को खरात संख्या 50034297206, इलाहाबाद बैंक में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

(Signature)

12. प्रस्तावित भवन में रुक टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु रु. 2,00,000/- की जमानत राशि की बैंक ऑफ इण्डिया, पटपद गंव द्वारा निर्गत एफ.डी.आर. दिनांक 14.01.15 जमा करायी गयी है, जो कि भवन सम्पूति प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण एवं यथोचित संभालन की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
13. इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति 21.05.2005 एवं शासनादेश दि. 28.11.2006 के अनुसार योजनागत समस्त अन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य करने वाले का दायित्व विकासकर्ता मै0 यूटिलिटी एस्टेट प्रा0 लि0, लीड मैम्बर एम्मा एम.जे.एफ. लैण्ड लि0 (कन्सोर्शियम) का स्वयं का है। जो कि निर्धारित मानको एवं विनियमों के अनुसार अपनी लागत पर विकासकर्ता को स्वयं करने होंगे। परियोजना क्रियान्वयन की अवधि में शासकीय अधिकरण द्वारा प्राविधानित की जाने वाली नगर स्तरीय व्यवस्थापना सुविधाओं यथा-बन्धा निर्माण, रिंग रोड, फ्लाई ओवर, मेट्रो आदि जिनका लाभ प्रस्तावित टाउनशिप को मिलेगा, की समानुपातिक लागत विकासकर्ता कंपनी द्वारा वहन की जायेगी।
इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार योजनागत अन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्यों की पूर्णता हेतु रुपये 6.05 करोड़ की बैंक गारण्टी विकासकर्ता द्वारा पूर्व में डवलपमेन्ट एग्रीमेंट के समय प्राधिकरण में जमा की गयी है। जिसकी वैधता अप्रति दि. 28.01.2015 तक है, जो अवसरपरका अनुसार बढ़वानी होगी।
14. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य बाह्य विकास का स्वयं यदि विकासकर्ता को होता है तो उसका समानुपातिक मूल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा माँगे जाने पर 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण को देय होगा।
15. भू-स्वामित्व तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जिम्मेदारी प्राधिकरण की नहीं होगी समस्त दायित्व विकासकर्ता का होगा किसी वाद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। किसी भी व्यापारिक में विचारधीन वाद से प्रभावित खसरा नम्बरों को भूमि यथावत रक्षी जायेगी जिस पर किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
16. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य पूर्ण करना होगा। सम्पूति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व किसी भी अवर्दी को भवन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। सम्पूति प्रमाण पत्र के साथ फावर विभाग का पूर्णतः प्रमाण पत्र, बाह्य विकास/ अन्तरिक विकास का पूर्णता: प्रमाण पत्र, निर्माण भूकम्प विरोधी करने वाले का प्रमाण पत्र सम्बन्धी एन.ओ.सी. प्रस्तुत करनी होगी।
17. निर्माण अवधि में स्थल पर कार्यरत श्रमिकों हेतु शौचालय आदि जनसुविधाओं का पर्यावरण के अनुकूल प्राविधान करना होगा।
18. प्रस्तावित भूमि के अन्दर यदि कोई नाली/नाला, चकरीड, ग्राम समाज/ सरकारी भूमि पायी जाती है तो उसको यथावत रखा जायेगा अथवा उसके क्षेत्रफल के बराबर अपने स्वामित्व वाली भूमि में एक तरफ एकजाई करके छोड़नी होगी जिसकी अन्तर्गत नगर आयुक्त नगर निगम एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद से प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी तथा अन्तिम रूप से सम्पादित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर विकास प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
19. मानचित्र में प्रदर्शित विकासकर्ता के स्वामित्वधीन भूमि में से यदि किसी भूमि का दाखिल सारिव बकाया है तो उसे विकासकर्ता कंपनी के नाम दाखिल सारिव करकर प्रस्तुत करना होगा।
20. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं पक्ष का होगा तथा पक्ष द्वारा भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।



21. भवन की स्ट्रक्चरल सैफ्टी एवं भूकम्प रोधी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र श्री बी.डी.शर्मा द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन व ड्राइंग के आई.आई.टी., दिल्ली के प्रोफेसर डॉ० आलोक मदान के पत्र सं० AM/CE/ITD/Utility Estates/Parks Town/2015-01 दिनांक 14.01.15 के माध्यम से सैट कर प्रस्तुत की गयी है। उदनुसार स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में करण होगा। डी.पी.आर. / योजना को पुनरीक्षित प्लानेट मानचित्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना होगा एवं भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/ 2001 (आ.ब.) दिनांक 03.02.01, 72/9-आ-1-2001- भूकम्परोधी /2001 (आ.ब.) दिनांक 13.02.01 तथा शास. 3751/9-आ-1-1- भूकम्परोधी /2001 (आ.ब.) दि.20.07.01 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-

क- भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक स्तित्व अधिनस्थ किन्हीं भवन निर्माण के कार्य के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आवद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएँ करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

ख- भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील/स्टील ग्रिड, ईटें, कोर्स बैन्ड एवं मोर्टार तथा कंक्रिट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की निष्पत्ति सौमिलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/ संस्थाओं से करवाकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई निरोधत स्थल पर कार्य का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।

ग- निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी परीक्षण एक स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा भी करण जायेगा। फ़ैल /आपडिटियों द्वारा निवृत्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का परीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

घ- यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो अगले का निर्माण कार्य रुकवाते हुए निर्माण कार्य को अग्रपिछात स्थानों हुए खैल भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व उदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

ङ- कार्य स्थल पर प्रमुख स्वाम पर 4 फुट 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरवाइजर इंजीनियर का नाम इस प्रकार दर्शित/लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पष्ट जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अधिलेख भी उपलब्ध रहेंगे:-

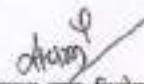
- 1- निवृत्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरसुक्त प्रति।
- 2- अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मूल परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित सीट के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियों।
- 3- अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नीचे, सुपर स्ट्रक्चर की गणनाएँ एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल्स।
- 4- अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त चर्किंग ड्राइंग जिनमें सीक्शन एवं एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल्स इत्यादि शामिल रहेंगे।

- 5- भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एण्ड पी. का विवरण।
- 6- सॉफ्ट इंजीनियर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर
- 7- सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर
22. भवन निर्माण के समय सुरक्षा खनखों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के सम्बन्ध में निर्माणकर्ता/भू-स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे। उक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
23. विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/ प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
24. भवन उपविधि-2008 के प्रस्तर 2.4.1 की क्रम संख्या 7 के अनुसार प्रस्तावित क्रियाओं हेतु वांछित स्थलों का प्राविधान ओपन स्पेस /ले-आउट ग्रीन में कराया होगा।
25. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जायेगा कोई अन्य उपयोग/निर्माण सामंजस्य नहीं होगा।
26. पार्किंग का निर्माण मानचित्र में दर्शित डिड के अनुरूप करना होगा एवं पूर्णतः प्रमाण पत्र के समय पार्किंग प्लान प्रिड सहित प्रस्तुत करना होगा।
27. आवेदन द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार पार्किंग प्लान में दर्शित विविधतः पार्किंग को आवंटित करने को नहीं दिया जायेगा अपितु यथावत रखना होगा तथा स्थल पर साईन बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा।
28. अपार्टमेंट एक्ट 2010 एवं रूल्स-2011 का अनुपालन करना होगा।
29. शासनादेश सं० 3188/आठ-1-13-80 विविध/2010 दिनांक 05.12.13 के अनुसार EWS /UG भवनों के लाल क्षेत्रफल के समुल्लेख इन्सैटिड के रूप में अतिरिक्त एफ.ए.आर. का उपयोग EWS/UG भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने को तब तक के अधीन ही अनुमत्त है।
30. अग्निशमन विभाग द्वारा निर्मित अनापत्ति प्रमाण पत्र सं० आर-28/जे.डी./लखनऊ-14(गोमद)/3 दिनांक 15.01.15 को समस्त शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
31. दृष्टि-बै की डिजाईन व एक्जिक्यूशन अग्निशमन विभाग के वाहनों के भार वहन क्षमता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत करना अनिवार्य होगा।
32. आउटब्लूट, व विलर्स के माध्यम से जलवाहनीय वादविवाद की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
33. संदर्भित हुए हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे एवं प्रदर्शित 15 प्रतिशत ग्रीन यथावत रखना होगा एवं उसका रख-रखाव भी करना होगा।
34. समस्त अवस्थापना सुविधाओं के अधिकतम व विकास का दृष्टिगत विकासकर्ता का स्वयं का होगा। अवस्थापना सुविधाओं का विकास/ निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू.डी. यू.पी.पी.सी.एल., भवन उपविधि-2008, एन.बी.सी. एवं शासनादेशों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्थल पर कराया जायेगा। विकास/ निर्माण कार्यों एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी विकासकर्ता की स्वयं की होगी।
35. लिफ्ट एवं फायर फाईटिंग के संवाहन हेतु कर्पोस फण्ड को सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्धता के लिए दिये गये शपथ पत्र दिनांक 15.01.15 का पालन करना होगा।
36. प्रस्तावित दुर्घटन आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लाभार्थियों को शासकीय अधिकरण द्वारा निर्धारित लागत पर एवं निर्धारित मानकों के अनुसार विकसित/निर्मित कर उपलब्ध कराये जाएंगे। इन ब्यूजटों/वर्गों का आर्बटन उक्त आय वर्ग के लाभार्थियों को शासकीय अधिकरण के उपस्थिति की अध्यक्षता में अग्रस्त एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा। यदि कोई आर्बटन किया गया है तो उसे निरस्त करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आर्बटन करना होगा।

37. मैकेनिकल पार्किंग को स्थायी/अस्थायी किसी भी रूप में अस्थापित नहीं किया जाएगा। मैकेनिकल पार्किंग की स्थापना एवं उसका क्रियान्वयन उस हेतु निर्धारित माप दण्डों को अनुसर किया जाएगा एवं उसके संचालन में किसी भी व्यावहारिक एवं तकनीकी बाधाएँ हेतु विकासकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।

38. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में सार्वजनिक स्वतः विरत माना जायेगा।

संलग्नक: एक सेट स्वीकृत मानचित्र।


मुख्य नगर नियोजक
राजिन्दाबौर विकास अधिकरण
राजिन्दाबौर।

पत्रांक: /एमओपी/424/बोन-5/2014-15

दिनांक:

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड बोन-5 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1
मुख्य नगर नियोजक

कार्यालय
पत्रांक/आर-92/जे0डी0/तखनऊ-14गा0बाद0
सेवा में

संयुक्त

निदेशक

का0स0

मुख्यालय
दिनांक/जनवरी

तखनऊ।
2015

3

15

नगर नियोजक,
गजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गजियाबाद।

विषय: मैसर्स यूटिलिटी स्टैंडट प्राजिक्ट लीड नंबर एगनो0एफ0 लैण्ड लि0 (कन्वोर्सियन्) द्वारा भूखण्ड संख्याजी0एफ0-3/1, ग्राम शाहपुर
बम्हेटा-2 महारौली, परगना कायना, तखनऊ व जयपुर गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन हेतु अलार्ड अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-
पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपयाई0डी0: 2014/2502/Gzb/Ghaziabad/323/1D
संदर्भ:

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 219/या0 प्लान/14 दिनांक: 11-11-2014 का सम्पर्क ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुषंगान्त
में अवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक: 20-12-2014 के मध्यम से प्रस्तावित आवासीय भवन के निर्माण हेतु श्रेणीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत
किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद से किया गया है।

प्रस्तावित भवन के स्थल का निरीक्षण एवं नक्शेबंदी का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी श्रेणीजनल जयपुर गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी
आख्या दिनांक: 17-06-2013 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक फायर
सर्विस मेड को उपलब्ध कराई गयी जिसका सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर अलार्ड अग्निशमन अधिकारी को उपलब्ध कराई जिसका सुसंगत मानकों के अनुसार
परीक्षण किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

- 1-कुल भूखण्ड एरिया-23552.65वर्गमीटर।
- 2-नेट प्लॉट एरिया-22113.88वर्गमीटर।
- 3-प्रस्तावित प्राथमिक कवर्ड एरिया-4718.33वर्गमीटर।
- 4-प्रस्तावित लोअर वैसेमेण्ट कवर्ड एरिया-17123.32वर्गमीटर।
- 5-प्रस्तावित लोअर वैसेमेण्ट कवर्ड एरिया-17123.32वर्गमीटर।

भवन का नाम एवं प्लॉट का स्थान	भूतल कवर्ड एरिया	एक कवर्ड एरिया	मकान की ऊंचाई	मकानों में से एक मकान की चौड़ाई
कवर्ड-प्लॉट का 01-23552.65वर्गमीटर	4718.33वर्गमीटर	10729.31वर्गमीटर	72.45मीटर	1.50/1.50मीटर
कवर्ड-प्लॉट का 02-23552.65वर्गमीटर	4718.33वर्गमीटर	10729.31वर्गमीटर	72.45मीटर	1.50/1.50मीटर
कवर्ड-प्लॉट का 03-23552.65वर्गमीटर	4718.33वर्गमीटर	10729.31वर्गमीटर	72.45मीटर	1.50/1.50मीटर
कवर्ड-प्लॉट का 04-23552.65वर्गमीटर	4718.33वर्गमीटर	10729.31वर्गमीटर	72.45मीटर	1.50/1.50मीटर
कवर्ड-प्लॉट का 05-23552.65वर्गमीटर	4718.33वर्गमीटर	10729.31वर्गमीटर	72.45मीटर	1.50/1.50मीटर
कवर्ड-प्लॉट का 06-23552.65वर्गमीटर	4718.33वर्गमीटर	10729.31वर्गमीटर	72.45मीटर	1.50/1.50मीटर
कवर्ड-प्लॉट का 07-23552.65वर्गमीटर	4718.33वर्गमीटर	10729.31वर्गमीटर	72.45मीटर	1.50/1.50मीटर
कवर्ड-प्लॉट का 08-23552.65वर्गमीटर	4718.33वर्गमीटर	10729.31वर्गमीटर	72.45मीटर	1.50/1.50मीटर
कवर्ड-प्लॉट का 09-23552.65वर्गमीटर	4718.33वर्गमीटर	10729.31वर्गमीटर	72.45मीटर	1.50/1.50मीटर
कवर्ड-प्लॉट का 10-23552.65वर्गमीटर	4718.33वर्गमीटर	10729.31वर्गमीटर	72.45मीटर	1.50/1.50मीटर

भवन का अविरोध एवं हैजाई श्रेणी:- प्रस्तावित भवन का अविरोध आवासीय अपार्टमेंट/एगनो0सी0-2005आवासीय श्रेणी ए-4के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।
प्रस्तावित भवन की ऊंचाई दोनो वैसेमेण्ट का प्रयोग परीक्षण हेतु एवं शेष सभी तलों का प्रयोग आवासीय हेतु किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त टावर
ईएम के भूतल पर कन्वर्शियल एवं ब्लॉक-2(खबर डी) के 22वें एवं 23वें तल पर कन्वर्शियल डील प्रस्तावित है।

डोंबाबाद व्यवस्था :-

- 1-स्ट्रॉप मार्ग:- भूखण्ड के चारों तरफ नक्शेबंदी में रोड की चौड़ाई 30.0 मीटर प्रदर्शित है।
- 2-प्रवेश/निर्गत द्वार :- प्रवेश/निर्गत द्वार की चौड़ाई 8.0मीटर(प्रत्येक) प्रदर्शित है।
- 3-सीटिंग :- भवन के चारों ओर 9.0 मीटर सीटिंग लाईन प्रदर्शित है, जिसमें अग्निशमन वाहनो हेतु 7.50मीटर फायर टेम्पर न्यूमेण्ट प्रदर्शित है। यह मार्ग सदैव
खोला हुआ अथवा अथवा रोड रोड अथवा अनिवार्य होगा। नगर निर्माण एवं विकास एक्टिवि-2008 के प्रस्तर 34.5 के अनुसार भवन की ऊंचाई(72.45मीटर) के
साथ साथ सीटिंग(15.0मीटर) के सम्बन्ध में निर्माण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
- 4-निर्गत मार्ग:-भवन में उपरोक्त तालिका अनुसार स्टैयरकेस का प्राविकान प्रस्तावित है। भवन का निर्माण पूर्ण होने पर इनकी चौड़ाई नक्शेबंदी में प्रदर्शित चौड़ाई से
थोड़ा होनी चाहिए। प्रत्येक टावर की फायर स्टैयर पर एक चप्पे फायर रेटिंग का फायर पैक डोर लगाया जाना अनिवार्य होगा।
- लिफ्ट:- लॉक टर्न की लिफ्ट लॉबी का निर्माण एगनो0सी0 मानकों के अनुसार ही किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5-लिफ्ट एरिया का विवरण:-भवन में प्रत्येक तल में लिफ्ट का प्राविकान प्रस्तावित है जो एगनो0सी0 मानकों के अनुसार है।


कार्यालय गजियाबाद विकास प्राधिकरण
पत्रांक-14/गा0बाद0

अग्निशमन सुखा व्यवस्था :- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2006 के अनुसार तथा भवन की महत्ता एवं फायर रिसक को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ करायी जानी आवश्यक है :-

- 1- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण/फायर एक्स्टिंग्यूशरी- सम्पूर्ण भवन में फायर एक्स्टिंग्यूशर्स आईएसओ-2189 के अनुसार कराया जाना बाध्यकारी है।
- 2- होजरीत :- भवन में होजरीत लेभलिंग वाल्व आईएसओ-3844 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
- 3- वेटरराईजर :- भवन में वेटरराईजर सिस्टम एनबीसीओ-2005 के मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
- 4- बार्ड स्मॉल्टेंट सिस्टम- सम्पूर्ण भवन परिसर में बार्ड स्मॉल्टेंट होज वीरिनेट एवं उसमें होज तथा बॉव पाईप तथा फायर सर्विस व्हेल्ट का प्रावधान आईएसओ-13033:1991 के अनुसार कराया जाना आवश्यक है।
- 5- स्वायत्त सिंकलर सिस्टम- सम्पूर्ण भवन में ऑटोमैटिक सिंकलर सिस्टम एनबीसीओ मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
- 6- इन्फ्रारेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम- नै-यूजली अपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्रावधान एनबीसीओ मानकों के अनुसार कराया जाना आवश्यक है।
- 7- स्वायत्त स्मिटेरान एण्ड एलार्म सिस्टम :- सभी टायरों में ऑटोमैटिक स्मिटेरान एण्ड एलार्म सिस्टम एनबीसीओ मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
- 8- न्यूमेटिक टैंक- न्यूमेटिक टैंक दो लाख लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
- 9- पम्प-अम्पर ग्राउण्ड टैंक के पास 2280 एलपीएम क्षमता के दो विद्युत चालित पम्प एवं समान क्षमता का सौजल चालित पम्प तथा 150 एलपीएम क्षमता का बोलो पम्प स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
- 10- टैरिस टैंक :- प्रत्येक ब्लॉक की टैरिस पर 25,000 लीटर क्षमता का टैरिस टैंक स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
- 11- रोक-एम्ब्रूशन सिस्टम :- भवन के दोनों बेसमेंट हेतु पृथक-पृथक डवट बनाकर सोफे एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम एनबीसीओ मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
- 12- एरिजट सार्जनेज- सम्पूर्ण भवन में एरिजट सार्जनेज स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
- 13- हैलीपैड- प्रत्येक भवन में हैलीपैड का प्रावधान किया गया है।
- 14- पीएचएसिस्टम- सम्पूर्ण भवन में पीएचएसिस्टम की व्यवस्था स्थापित करते हुए भवन के सभी छतों के कॉमन एरिया में तातडस्वीचन लगाये जायें तथा पीएचएसिस्टम का कंट्रोल रिवर एवं माईक्रोप्रोसेसर एम्पलीफायर मॉडल पर नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम/सुखा कक्ष) में अनिवार्य रूप से स्थापित कराया जाये। नियन्त्रण कक्ष में लिफ्ट के इन्टरकम्युनिकेशन सिस्टम के साथ-साथ सभी आंतरिक संवाहकों से सम्बंधित संचार सुविधा उपलब्ध रहे।

उपरोक्त से अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैयक्तिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संबंधित किया जाना एवं इनके संभालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन प्रदर्शनी व अनुकूलन व सावधानी अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जाने मानकों के अनुसार बाध्यकारी होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग उत्तराखण्ड से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मेसर्स कृतिमिटी स्टेट्स प्रा० लि० लीड मैनर एम्पार एम्पोजी०एच० लैण्ड लि० (कन्सॉल्टेयन्स) द्वारा मुख्य संख्या/जीएच०-3/1, ग्राम शाहपुर बम्हेटा व महरौली, परगना आसना, तहसील व जनपद गाजियाबाद पर प्रस्तुतित रूप के निर्माण हेतु प्रयोजनल अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्रत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रावधान भवन निर्माण एवं विवरण उपदिशि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2006 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का जांच करके से रहने भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ नगरों के अनुसार स्थापित कर लकान निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से करके स्थाई अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्मित किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अर्थात् अनापति प्रमाण पत्र स्वतः ही गिरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक अनुमोदित मानचित्र अरप।


 संपूर्ण निरीक्षण, फायर सर्विस
 उत्तराखण्ड
 गाजियाबाद
 6-2-20, लखनऊ

प्रतिनिधि-1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनाई।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी कोरकली गाजियाबाद को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मेसर्स कृतिमिटी स्टेट्स प्रा० लि० लीड मैनर एम्पार एम्पोजी०एच० लैण्ड लि० (कन्सॉल्टेयन्स) द्वारा मुख्य संख्या/जीएच०-3/1, ग्राम शाहपुर बम्हेटा व महरौली, परगना आसना, तहसील व जनपद गाजियाबाद को उक्त के सन्दर्भ में अनुमोदनार्थ।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0 सी0 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या : **F54943**

/सी-1/एन0ओ0सी/जी-894/2015.

दिनांक

28-1-15

सेवा में,

मैसर्स पार्क टाउन (प्रमोटर मैसर्स यूटिलिटी एस्टेट प्रा० लि०),
शाहपुर बम्हेटा, नेशनल हाइवे-२४,
गाजियाबाद।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक-5/9/2014 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा कृपया अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

3. अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल:- मैसर्स यूटिलिटी एस्टेट प्रा० लि०, (आवासीय परियोजना),
खसरा नं० १४७५-१४८२, १४८८-१४९०, १४९३-१४९५, १५०८,
१५४१ से १५८१, १५८३-१६०४, १६०७-१६१२, १६२६-१६६७,
२०५६-२०६१, २०७८, २०८२, २०८५ से २०९५, ग्राम बम्हेटा एवं
खसरा नं० ६०३, ६०४, ६०७-६१०, ६३०-६४१, ६७५-६६२, ७१४,
७२८-७३५, ७३६, ७४०, १३५६-१३५८, १३६५, ग्राम महरौली, गाजियाबाद।

(ख) उत्पादन : 476249.78 वर्ग मी० क्षेत्रफल, बिल्डअप एरिया 1301449.34 वर्ग मीटर में कार्यान्वित

न आवासीय परियोजना का पर्यावरणीय क्लैमिनेट दि० 12.10.13 के अनुसार

निर्माण किया जाये।

(ग) मुख्य कच्चे माल :- बिल्डिंग मैटेरियल, आदि

(घ) औद्योगिक उत्प्रेषण की मात्रा:- शून्य

घरेलू उत्प्रेषण की मात्रा:- 4612 क्वैट एल0 डी0/दिन

(ङ) प्रयुक्त ईंधन :- डी0 जी0 सेट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार

उपरोक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- 2- उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रेषण शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
- 3- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4- उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का परीक्षण सुनियोजित किया जाये।

पार्क टाउन (प्रमोटर मैसर्स यूटिलिटी एस्टेट प्रा० लि०,
शाहपुर बम्हेटा, नेशनल हाइवे-24, गाजियाबाद

- 5- घरेलू उत्प्रेषण, जिसकी मात्रा 4612 क० एस० डी० से अधिक नहीं होगी। प्रस्तावानुसार एस० टी० के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप जी० डी० ए० के सीवर लाइन में निस्तारित किया जाये।
- 6- प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में 30.6.2015 तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।
- 7- मैसर्स यूटिलिटी एस्टेट प्रा० लि०, (आवासीय परियोजना) खसरा नं० 9805-9802, 9803-9804, 9805-9806, 9807-9808, 9809-9810, 9811-9812, 9813-9814, 9815-9816, 9817-9818, 9819-9820, 9821-9822, 9823-9824, 9825-9826, 9827-9828, 9829-9830, 9831-9832, 9833-9834, 9835-9836, 9837-9838, 9839-9840, 9841-9842, 9843-9844, 9845-9846, 9847-9848, 9849-9850, 9851-9852, 9853-9854, 9855-9856, 9857-9858, 9859-9860, 9861-9862, 9863-9864, 9865-9866, 9867-9868, 9869-9870, 9871-9872, 9873-9874, 9875-9876, 9877-9878, 9879-9880, 9881-9882, 9883-9884, 9885-9886, 9887-9888, 9889-9890, 9891-9892, 9893-9894, 9895-9896, 9897-9898, 9899-9900, 9901-9902, 9903-9904, 9905-9906, 9907-9908, 9909-9910, 9911-9912, 9913-9914, 9915-9916, 9917-9918, 9919-9920, 9921-9922, 9923-9924, 9925-9926, 9927-9928, 9929-9930, 9931-9932, 9933-9934, 9935-9936, 9937-9938, 9939-9940, 9941-9942, 9943-9944, 9945-9946, 9947-9948, 9949-9950, 9951-9952, 9953-9954, 9955-9956, 9957-9958, 9959-9960, 9961-9962, 9963-9964, 9965-9966, 9967-9968, 9969-9970, 9971-9972, 9973-9974, 9975-9976, 9977-9978, 9979-9980, 9981-9982, 9983-9984, 9985-9986, 9987-9988, 9989-9990, 9991-9992, 9993-9994, 9995-9996, 9997-9998, 9999-10000, 10001-10002, 10003-10004, 10005-10006, 10007-10008, 10009-10010, 10011-10012, 10013-10014, 10015-10016, 10017-10018, 10019-10020, 10021-10022, 10023-10024, 10025-10026, 10027-10028, 10029-10030, 10031-10032, 10033-10034, 10035-10036, 10037-10038, 10039-10040, 10041-10042, 10043-10044, 10045-10046, 10047-10048, 10049-10050, 10051-10052, 10053-10054, 10055-10056, 10057-10058, 10059-10060, 10061-10062, 10063-10064, 10065-10066, 10067-10068, 10069-10070, 10071-10072, 10073-10074, 10075-10076, 10077-10078, 10079-10080, 10081-10082, 10083-10084, 10085-10086, 10087-10088, 10089-10090, 10091-10092, 10093-10094, 10095-10096, 10097-10098, 10099-10100, 10101-10102, 10103-10104, 10105-10106, 10107-10108, 10109-10110, 10111-10112, 10113-10114, 10115-10116, 10117-10118, 10119-10120, 10121-10122, 10123-10124, 10125-10126, 10127-10128, 10129-10130, 10131-10132, 10133-10134, 10135-10136, 10137-10138, 10139-10140, 10141-10142, 10143-10144, 10145-10146, 10147-10148, 10149-10150, 10151-10152, 10153-10154, 10155-10156, 10157-10158, 10159-10160, 10161-10162, 10163-10164, 10165-10166, 10167-10168, 10169-10170, 10171-10172, 10173-10174, 10175-10176, 10177-10178, 10179-10180, 10181-10182, 10183-10184, 10185-10186, 10187-10188, 10189-10190, 10191-10192, 10193-10194, 10195-10196, 10197-10198, 10199-10200, 10201-10202, 10203-10204, 10205-10206, 10207-10208, 10209-10210, 10211-10212, 10213-10214, 10215-10216, 10217-10218, 10219-10220, 10221-10222, 10223-10224, 10225-10226, 10227-10228, 10229-10230, 10231-10232, 10233-10234, 10235-10236, 10237-10238, 10239-10240, 10241-10242, 10243-10244, 10245-10246, 10247-10248, 10249-10250, 10251-10252, 10253-10254, 10255-10256, 10257-10258, 10259-10260, 10261-10262, 10263-10264, 10265-10266, 10267-10268, 10269-10270, 10271-10272, 10273-10274, 10275-10276, 10277-10278, 10279-10280, 10281-10282, 10283-10284, 10285-10286, 10287-10288, 10289-10290, 10291-10292, 10293-10294, 10295-10296, 10297-10298, 10299-10300, 10301-10302, 10303-10304, 10305-10306, 10307-10308, 10309-10310, 10311-10312, 10313-10314, 10315-10316, 10317-10318, 10319-10320, 10321-10322, 10323-10324, 10325-10326, 10327-10328, 10329-10330, 10331-10332, 10333-10334, 10335-10336, 10337-10338, 10339-10340, 10341-10342, 10343-10344, 10345-10346, 10347-10348, 10349-10350, 10351-10352, 10353-10354, 10355-10356, 10357-10358, 10359-10360, 10361-10362, 10363-10364, 10365-10366, 10367-10368, 10369-10370, 10371-10372, 10373-10374, 10375-10376, 10377-10378, 10379-10380, 10381-10382, 10383-10384, 10385-10386, 10387-10388, 10389-10390, 10391-10392, 10393-10394, 10395-10396, 10397-10398, 10399-10400, 10401-10402, 10403-10404, 10405-10406, 10407-10408, 10409-10410, 10411-10412, 10413-10414, 10415-10416, 10417-10418, 10419-10420, 10421-10422, 10423-10424, 10425-10426, 10427-10428, 10429-10430, 10431-10432, 10433-10434, 10435-10436, 10437-10438, 10439-10440, 10441-10442, 10443-10444, 10445-10446, 10447-10448, 10449-10450, 10451-10452, 10453-10454, 10455-10456, 10457-10458, 10459-10460, 10461-10462, 10463-10464, 10465-10466, 10467-10468, 10469-10470, 10471-10472, 10473-10474, 10475-10476, 10477-10478, 10479-10480, 10481-10482, 10483-10484, 10485-10486, 10487-10488, 10489-10490, 10491-10492, 10493-10494, 10495-10496, 10497-10498, 10499-10500, 10501-10502, 10503-10504, 10505-10506, 10507-10508, 10509-10510, 10511-10512, 10513-10514, 10515-10516, 10517-10518, 10519-10520, 10521-10522, 10523-10524, 10525-10526, 10527-10528, 10529-10530, 10531-10532, 10533-10534, 10535-10536, 10537-10538, 10539-10540, 10541-10542, 10543-10544, 10545-10546, 10547-10548, 10549-10550, 10551-10552, 10553-10554, 10555-10556, 10557-10558, 10559-10560, 10561-10562, 10563-10564, 10565-10566, 10567-10568, 10569-10570, 10571-10572, 10573-10574, 10575-10576, 10577-10578, 10579-10580, 10581-10582, 10583-10584, 10585-10586, 10587-10588, 10589-10590, 10591-10592, 10593-10594, 10595-10596, 10597-10598, 10599-10600, 10601-10602, 10603-10604, 10605-10606, 10607-10608, 10609-10610, 10611-10612, 10613-10614, 10615-10616, 10617-10618, 10619-10620, 10621-10622, 10623-10624, 10625-10626, 10627-10628, 10629-10630, 10631-10632, 10633-10634, 10635-10636, 10637-10638, 10639-10640, 10641-10642, 10643-10644, 10645-10646, 10647-10648, 10649-10650, 10651-10652, 10653-10654, 10655-10656, 10657-10658, 10659-10660, 10661-10662, 10663-10664, 10665-10666, 10667-10668, 10669-10670, 10671-10672, 10673-10674, 10675-10676, 10677-10678, 10679-10680, 10681-10682, 10683-10684, 10685-10686, 10687-10688, 10689-10690, 10691-10692, 10693-10694, 10695-10696, 10697-10698, 10699-10700, 10701-10702, 10703-10704, 10705-10706, 10707-10708, 10709-10710, 10711-10712, 10713-10714, 10715-10716, 10717-10718, 10719-10720, 10721-10722, 10723-10724, 10725-10726, 10727-10728, 10729-10730, 10731-10732, 10733-10734, 10735-10736, 10737-10738, 10739-10740, 10741-10742, 10743-10744, 10745-10746, 10747-10748, 10749-10750, 10751-10752, 10753-10754, 10755-10756, 10757-10758, 10759-10760, 10761-10762, 10763-10764, 10765-10766, 10767-10768, 10769-10770, 10771-10772, 10773-10774, 10775-10776, 10777-10778, 10779-10780, 10781-10782, 10783-10784, 10785-10786, 10787-10788, 10789-10790, 10791-10792, 10793-10794, 10795-10796, 10797-10798, 10799-10800, 10801-10802, 10803-10804, 10805-10806, 10807-10808, 10809-10810, 10811-10812, 10813-10814, 10815-10816, 10817-10818, 10819-10820, 10821-10822, 10823-10824, 10825-10826, 10827-10828, 10829-10830, 10831-10832, 10833-10834, 10835-10836, 10837-10838, 10839-10840, 10841-10842, 10843-10844, 10845-10846, 10847-10848, 10849-10850, 10851-10852, 10853-10854, 10855-10856, 10857-10858, 10859-10860, 10861-10862, 10863-10864, 10865-10866, 10867-10868, 10869-10870, 10871-10872, 10873-10874, 10875-10876, 10877-10878, 10879-10880, 10881-10882, 10883-10884, 10885-10886, 10887-10888, 10889-10890, 10891-10892, 10893-10894, 10895-10896, 10897-10898, 10899-10900, 10901-10902, 10903-10904, 10905-10906, 10907-10908, 10909-10910, 10911-10912, 10913-10914, 10915-10916, 10917-10918, 10919-10920, 10921-10922, 10923-10924, 10925-10926, 10927-10928, 10929-10930, 10931-10932, 10933-10934, 10935-10936, 10937-10938, 10939-10940, 10941-10942, 10943-10944, 10945-10946, 10947-10948, 10949-10950, 10951-10952, 10953-10954, 10955-10956, 10957-10958, 10959-10960, 10961-10962, 10963-10964, 10965-10966, 10967-10968, 10969-10970, 10971-10972, 10973-10974, 10975-10976, 10977-10978, 10979-10980, 10981-10982, 10983-10984, 10985-10986, 10987-10988, 10989-10990, 10991-10992, 10993-10994, 10995-10996, 10997-10998, 10999-11000, 11001-11002, 11003-11004, 11005-11006, 11007-11008, 11009-11010, 11011-11012, 11013-11014, 11015-11016, 11017-11018, 11019-11020, 11021-11022, 11023-11024, 11025-11026, 11027-11028, 11029-11030, 11031-11032, 11033-11034, 11035-11036, 11037-11038, 11039-11040, 11041-11042, 11043-11044, 11045-11046, 11047-11048, 11049-11050, 11051-11052, 11053-11054, 11055-11056, 11057-11058, 11059-11060, 11061-11062, 11063-11064, 11065-11066, 11067-11068, 11069-11070, 11071-11072, 11073-11074, 11075-11076, 11077-11078, 11079-11080, 11081-11082, 11083-11084, 11085-11086, 11087-11088, 11089-11090, 11091-11092, 11093-11094, 11095-11096, 11097-11098, 11099-11100, 11101-11102, 11103-11104, 11105-11106, 11107-11108, 11109-11110, 11111-11112, 11113-11114, 11115-11116, 11117-11118, 11119-11120, 11121-11122, 11123-11124, 11125-11126, 11127-11128, 11129-11130, 11131-11132, 11133-11134, 11135-11136, 11137-11138, 11139-11140, 11141-11142, 11143-11144, 11145-11146, 11147-11148, 11149-11150, 11151-11152, 11153-11154, 11155-11156, 11157-11158, 11159-11160, 11161-11162, 11163-11164, 11165-11166, 11167-11168, 11169-11170, 11171-11172, 11173-11174, 11175-11176, 11177-11178, 11179-11180, 11181-11182, 11183-11184, 11185-11186, 11187-11188, 11189-11190, 11191-11192, 11193-11194, 11195-11196, 11197-11198, 11199-11200, 11201-11202, 11203-11204, 11205-11206, 11207-11208, 11209-11210, 11211-11212, 11213-11214, 11215-11216, 11217-11218, 11219-11220, 11221-11222, 11223-11224, 11225-11226, 11227-11228, 11229-11230, 11231-11232, 11233-11234, 11235-11236, 11237-11238, 11239-11240, 11241-11242, 11243-11244, 11245-11246, 11247-11248, 11249-11250, 11251-11252, 11253-11254, 11255-11256, 11257-11258, 11259-11260, 11261-11262, 11263-11264, 11265-11266, 11267-11268, 11269-11270, 11271-11272, 11273-11274, 11275-11276, 11277-11278, 11279-11280, 11281-11282, 11283-11284, 11285-11286, 11287-11288, 11289-11290, 11291-11292, 11293-11294, 11295-11296, 11297-11298, 11299-11300, 11301-11302, 11303-11304, 11305-11306, 11307-11308, 11309-11310, 11311-11312, 11313-11314, 11315-11316, 11317-11318, 11319-11320, 11321-11322, 11323-11324, 11325-11326, 11327-11328, 11329-11330, 11331-11332, 11333-11334, 11335-11336, 11337-11338, 11339-11340, 11341-11342, 11343-11344, 11345-11346, 11347-11348, 11349-11350, 11351-11352, 11353-11354, 11355-11356, 11357-11358, 11359-11360, 11361-11362, 11363-11364, 11365-11366, 11367-11368, 11369-11370, 11371-11372, 11373-11374, 11375-11376, 11377-11378, 11379-11380, 11381-11382, 11383-11384, 11385-11386, 11387-11388, 11389-11390, 11391-11392, 11393-11394, 11395-11396, 11397-11398, 11399-11400, 11401-11402, 11403-11404, 11405-11406, 11407-11408, 11409-11410, 11411-11412, 11413-11414, 11415-11416, 11417-11418, 11419-11420, 11421-11422, 11423-11424, 11425-11426, 11427-11428, 11429-11430, 11431-11432, 11433-11434, 11435-11436, 11437-11438, 11439-11440, 11441-11442, 11443-11444, 11445-11446, 11447-11448, 11449-11450, 11451-11452, 11453-11454, 11455-11456, 11457-11458, 11459-11460, 11461-11462, 11463-11464, 11465-11466, 11467-11468, 11469-11470, 11471-11472, 11473-11474, 11475-11476, 11477-11478, 11479-11480, 11481-11482, 11483-11484, 11485-11486, 11487-11488, 11489-11490, 11491-11492, 11493-11494, 11495-11496, 11497-11498, 11499-11500, 11501-11502, 11503-11504, 11505-11506, 11507-11508, 11509-11510, 11511-11512, 11513-11514, 11515-11516, 11517-11518, 11519-11520, 11521-11522, 11523-11524, 11525-11526, 11527-11528, 11529-11530, 11531-11532, 11533-11534, 11535-11536, 11537-11538, 11539-11540, 11541-11542, 11543-11544, 11545-11546, 11547-11548, 11549-11550, 11551-11552, 11553-11554, 11555-11556, 11557-11558, 11559-11560, 11561-11562, 11563-11564, 11565-11566, 11567-11568, 11569-11570, 11571-11572, 11573-11574, 11575-11576, 11577-11578, 11579-11580, 11581-11582, 11583-11584, 11585-11586, 11587-11588, 11589-11590, 11591-11592, 11593-11594, 11595-11596, 11597-11598, 11599-11600, 11601-11602, 11603-11604, 11605-11606, 11607-11608, 11609-11610, 11611-11612, 11613-11614, 11615-11616, 11617-11618, 11619-11620, 11621-11622, 11623-11624, 11625-11626, 11627-11628, 11629-11630, 11631-11632, 11633-11634, 11635-11636, 11637-11638, 11639-11640, 11641-11642, 11643-11644, 11645-11646, 11647-11648, 11649-11650, 11651-11652, 11653-11654, 11655-11656, 11657-11658, 11659-11660, 11661-11662, 11663-11664, 11665-11666, 11667-11668, 11669-11670, 11671-11672, 11673-11674, 11675-11676, 11677-11678, 11679-11680, 11681-11682,

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के संबंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में 30.6.2015 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय,


सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं०

/ एन०ओ०सी०

तददिनांक :

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गाजियाबाद ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-1)

No. Air HQ/S. 17726/04/ATS(PC-MCDIII)
Dy. No. 975/F/D(Air-II)
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Defence/Raksha Mantralaya

New Delhi, the 20th Nov, 2014.

To

Mr Kamal Khan
M/s Utility Estates (P) Ltd
G-79, Preet Vihar,
New Delhi - 110092

Subject: Issue Of 'NOC' for Group Housing Project Park Town By M/S Utility Estates (P) Ltd at Vill- Shahpur Bamheta & Mehrauli, Pargana- Dasna, Ghaziabad (UP)

Group Housing project Park Town at Integrated Township, Vill- Shahpur Bamheta & Mehrauli, Pargana- Dasna, Ghaziabad, Uttar Pradesh
Sir,

I am directed to refer to your application dated 31 Jul 2014 on the above subject and to say that Air HQ has no objection for construction of Group Housing Project Park Town By M/S Utility Estates (P) Ltd at Integrated Township, Plot No GH 3/4, Vill- Shahpur Bamheta, Ghaziabad (UP) subject to the following conditions:-

- (a) The vertical extent (highest point) of the buildings proposed at Latitude 28°39'15.13" N and 77° 28'50.70" E shall not exceed 90.00metres above ground level/303.00metres above mean sea level. No extension or structure permanent or temporary (eg. Antennas, munties, lift machine room, overhead water tank, cooling towers, sign boards etc) shall be permitted above the cleared height.
- (b) Standard obstruction lightings and markings as per IS 5613 notification and International Civil Aviation Organization (ICAO) standards as stipulated in ICAO-Annex-14 is to be provided by the company. The lights shall be switched 'ON' at all times.
- (c) Periodic maintenance of obstruction lights is to be carried out by the company at regular intervals to keep them in serviceable and visible condition. Provision shall be made for standby power supply to keep the lights 'ON' during power failure.
- (d) A garbage treatment plant shall be installed prior to the construction of buildings for the purpose of avoiding bird activity. The plant shall be shown to the AOC/ his nominated representative at AF Stn Hindan on installation.
- (e) No light or combination of lights by reasons of its intensity, configuration or colour may cause confusion with aeronautical ground lights of an airport shall be installed at the site at any time during or after construction of the building.
- (f) The commencement, completion of works inclusive installation of obstruction lights are to be intimated to AOC, AF Stn Hindan and HQ WAC AF, CATCO, Subroto Park, New Delhi. Failure to render these certificates within the stipulated time may lead to cancellation of NOC.
- (g) The validity of this NOC is five years from the date of issue. If the construction for which NOC has been issued, does not complete within five years of issue or found to be in deviation from original proposal the NOC shall be deemed null and void. It will be the responsibility of the applicant to obtain fresh NOC for the proposal.
- (h) Required security clearance should be obtained from MHA/IB of the foreign Nationals and Indian representative employed/to be employed by the company in India.

2. You are also requested to obtain No Objection from other concerned Government Organization/Agencies as required.

Yours faithfully,

(A.S. Choudhary)

Under Secretary to the Government of India

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.

Vineet Khand-i, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010

Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543

E-mail : docupko@yahoo.com

Website : www.seiaup.com

To,

Mr. Ramnath Pandey,
G.M.,
Emaar MGF Business Park,
MG Road, Sikanderpur Chowk,
Sector-28, Gurgaon, Haryana-122002.

Ref. No. 1997/Parya/SEAC/1240/2011/DDYDate: 12 October, 2013

Sub: Environmental Clearance for proposed integrated township project "Park Town" at Village-Mehrauli, Shahpur and Barnheta, Ghaziabad, U.P. M/s Utility Estate Pvt. Ltd.

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 28/05/2012, 19/06/2012, 26/06/2012, 28/08/2012, 13/09/2013, 30/09/2013 and 04/10/2013 addressed to the Secretary, SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meetings held on dated 04/10/2013 and 08/10/2013.

The proponent informed that there is a change in the name of the lead member of the consortium from M/s Emaar MGF Land Ltd. to M/s Utility States Pvt. Ltd and the name of the project has also been changed from Ghaziabad Greens to Park Town. Addendum consortium agreement to the consortium agreement dated 28/05/2006 and 23/05/2008 has been submitted by the project proponent in this regards. The committee agreed with the request of proponent regarding change of name of the proposal and the project proponent as above.

A Presentation was made by the representatives of project proponents along with their consultant M/s GRC India (P) Ltd. The project proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:

1. The environmental clearance is sought for Integrated Township "Park Town" at Khasra no. 1475-1482, 1488-1490, 1493-1495, 1508, 1541-1581, 1583-1604, 1607-1612, 1629-1667, 2059-2061, 2078, 2082, 2085-2095 of Village-Barnheta and Khasra no. 603, 604, 607-610, 630-641, 675-692, 714, 728-735, 739, 740, 1356-1358, 1365 of Village-Mehroli Ghaziabad, M/s Utility States Pvt. Ltd.
2. Area details of the project are as follows:

S. N.	Particulars	Area (in m ²)
1.	Total Site Area	4,76,249.78
2.	Master Plan Green Belt + Master Plan Roads (under 45m R.O.W + 30 m R.O.W)	30,345.19 + 30,716.77
3.	Net Planning area	4,15,187.82
4.	Total Group Housing including green area (A)	2,66,815.69
	Group Housing	2,26,793.34
	Green in Group housing	40,022.35
	Total Commercial area including green area (B)	24,784.78
	• Commercial	22,306.30
	• Green in commercial	2,478.48
	Public/semi public (Group Housing + EWS/LIG)	52,467
	• Anganwari (C)	1,750
	• Nursery School (D)	6,500
	• Primary school (E)	7,000
	• High school (F)	10,000

	• Inter College (G) (For Group Housing only)	12,000
	• Health Center (H)	4,000
	• Sub post office (I) (For Group Housing only)	300
	• Police Chowki (J) (For Group Housing only)	3,000
	• Rail Reservation Center (K) (For Group Housing only)	300
	• Community Cum marriage Hall (L) (For Group Housing only)	1,500
	• Dustbins	1,020
	• Sub station	5,047
	Green Area	1,06,167.64
5.	GC as per Ghaziabad Bye Laws	
	Total permissible & Proposed Ground Coverage	1,17,611.47
	• Group Housing @ 35% of A	79,377.67
	• Commercial Area @ 40% of B	22,306.30
	• Anganwadi @ 35% of C	612.50
	• Nursery School @ 40% of D	2,600
	• Primary School @ 35% of E	2,450
	• High School @ 35% of F	3,500
	• Inter college @ 35% of G	4,200
	• Health Center @ 40% of H	1,600
	• Post office @ 10% of I	30
	• Police choki @ 10% of J	300
	• Rail Reservation Center @ 10% of K	35
	• Community cum marriage hall @ 40% of L	600
6.	FAR as per Ghaziabad Bye Laws	9,58,382.34
	Total Permissible and proposed FAR Area	8,50,475.02
	• Group Housing @3.75	61,342.32
	• Commercial Area @ 2.75	1,750
	• Anganwadi @1	5,200
	• Nursery School @ 0.80	7,000
	• Primary School @ 1	12,000
	• High School @ 1.2	12,000
	• Inter college @1.2	6,000
	• Health Center @ 1.5	30
	• Sub Post office @ 0.10	300
	• Police choki @ 0.10	35
	• Rail Reservation Center @ 0.10	2,250
	• Community cum marriage hall @ 1.5	
7.	Service Area	6,067
	Dustbins	1020
	Sub station	5047
8.	Basement Area	3,37,000
9.	Built Up Area	13,01,449.34
10.	Total Landscape Area including green belt	1,06,167.68
	• Master Plan Green Belt	30,345.19
	• Green in Group Housing	40,022.35
	• Green in commercial	2,478.48
	• G-1	6,019.77
	• G-2	7,828.53
	• G-3	6,608.78
	• G-4	12,864.58

3. FAR Breakup of the project are as follows:

FAR as per Ghaziabad Bye Laws	9,58,382.34
Total Permissible and proposed FAR Area	8,50,475.02
• Group Housing @3.75	61,342.32
• Commercial Area @ 2.75	1,750

• Anganwadi @1	5,200
• Nursery School @ 0.80	7,000
• Primary School @ 1	12,000
• High School @ 1.2	12,000
• Inter college @1.2	6,000
• Health Center @ 1.5	30
• Sub Post office @ 0.10	300
• Police chokri @ 0.10	35
• Rail Reservation Center @ 0.10	2,250
• Community cum marriage hall @ 1.5	

4. Salient features of the project are as follows:

PROJECT FEATURES	DESCRIPTION
Estimated Population	65,582 persons (Residents -60,615, Staff-4,632 & Visitors -195)
Estimated Water Requirement	6,500 ML
Construction Phase	5,904 KLD (Fresh water = 3,754 KLD)
Operation Phase	
Estimated waste water generation	4,612 KLD
Power Demand	17,500 KVA
Power Back-up	16,000 kVA (16 X 1000)
Agency of Power	Uttar Pradesh State Electricity Board
Solid Waste Generation	31,555 kg/day
Parking Facilities	As per MoEF norms: 10,500 ECS
Required	As per Ghazipur Bye Laws: 8,721 ECS
Proposed	10,531 ECS

5. Water requirement of the project are as follows:

S. N.	Description	Total Occupancy/ Area / Capacity	Rate of water demand (lpcd)	Total Water Requirement (KLD)
A.	Domestic Water			
	Group Housing	50,517	86	4,344.46
	Commercial	2,000	30	60
	EWS	5,049	86	434.21
	LIG	5,049	86	434.21
	Anganwadi	437	30	13.11
	Nursery School Staff/Student	260	30	7.8
	Primary School Staff/Student	350	30	10.5
	High school Staff/ Student	600	30	18
	Inter College Staff/ Student	640	30	19.2
	Visitors	160	15	2.4
	Health center	15	340	5.1
	In patient	75	15	1.12
	Out Patient	30	15	0.45
	Visitors	35	30	1.05
	Staff			
	Sub post office	5	30	0.15
	Police chokri	5	30	0.15
	Rail reservation center	5	30	0.15
	Marriage hall	150	30	4.50
	Staff			
	Service Staff for Township	200	30	6
Total Domestic Water Requirement = 5362.56 KLD Say 5363 KLD				
B.	Horticulture area	1,06,167.68 m	1 l/sqm	106
C.	D.G Sets Cooling (16 x 1000 kVA)		0.91 KVA/hr	115

E.C. for proposed integrated township project "Park Town" at Village-Mohorai, Station and Barikata, Ghazipur, U.P. M/s. Daffar Estate Pvt. Ltd.

D.	HVAC Cooling	3000 TR	10 ltr/hr	300
E.	Water Body			20
Grand Total (A-E) = 5,903.56 KLD Say 5,904 KLD				

6. Waste water details are as follows:

Domestic Water Requirement	5,363 KLD
+ Fresh water for Domestic use (70% of domestic)	3,754 KLD
+ Flushing (30% of domestic)	1,609 KLD
Waste Water Generated (80% fresh + 100% flushing)	3,003 KLD + 1,609 KLD = 4,612 KLD

7. 64 rain water harvesting pits are proposed for the project.

8. The Project proposal falls under category 8"b" of EIA Notification, 2006 (as amended).

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (meeting held on 08/10/2013), the State Level Environment Impact Assessment Authority (meeting held on 11/10/2013) has decided to grant the Environmental Clearance to the project subject to the effective implementation of the following general and specific conditions:

SPECIFIC CONDITIONS

I. Construction Phase

1. Land use of project site should be in accordance to approved Master Plan and possession of site should be with project proponent.
2. In case of any legal dispute regarding the ownership of site, the environmental clearance shall deemed to be cancelled.
3. Consent for Establishment shall be obtained from Uttar Pradesh Pollution Control Board under Air and Water Act and a copy shall be submitted to SEIAA, UP before start of any construction work at the site.
4. All required sanitary and hygienic measures should be in place before starting construction activities and to be maintained throughout the construction phase.
5. A First Aid Room will be provided in the project both during construction and operation of the project.
6. Adequate drinking water and sanitary facilities should be provided for construction workers at the site. Provision should be made for mobile toilets. The safe disposal of wastewater and solid wastes generated during the construction phase should be ensured.
7. All the topsoil excavated during construction activities should be stored for use in horticulture/landscape development within the project site.
8. Disposal of muck during construction phase should not create any adverse effect on the neighbouring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
9. The approach road to OSR shall be ensured.
10. Soil and ground water samples will be tested to ascertain that there is no threat to ground water quality by leaching of heavy metals and other toxic contaminants.
11. Construction spoils, including bituminous material and other hazardous materials, must not be allowed to contaminate watercourses and the dump sites for such material must be secured so that they should not leach into the ground water.
12. Any hazardous waste generated during construction phase, should be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the Uttar Pradesh Pollution Control Board.
13. The diesel generator sets to be used during construction phase should be low sulphur diesel type and should conform to Environment (Protection) Rules prescribed for air and noise emission standards.
14. The diesel required for operating DG sets shall be stored in underground tanks and if required, clearance from Chief Controller of Explosives shall be taken.
15. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards and should be operated only during non-peak hours.
16. Ambient noise levels should conform to residential standards both during
17. day and night. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality should be closely monitored during construction phase. Adequate measures should be made to reduce ambient air and

- noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/APPCB.
18. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003. (The above condition is applicable only if the project site is located within the 100 Km of Thermal Power Stations).
 19. Ready mixed concrete must be used in building construction.
 20. Storm water control and its re-use as per CGWB and BIS standards for various applications.
 21. Water demand during construction should be reduced by use of premixed concrete, curing agents and other best practices referred.
 22. Permission to draw ground water shall be obtained from the competent Authority prior to construction/operation of the project.
 23. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing line for separation of grey and black water.
 24. Fixtures for showers, toilet flushing and drinking should be of low flow either by use of aerators or pressure reducing devices or sensor based control.
 25. Use of glass may be reduced by up to 40% to reduce the electricity consumption and load on air-conditioning. If necessary, use high quality double glass with special reflective coating in windows.
 26. Roof should meet prescriptive requirement as per Energy Conservation Building
 27. Code by using appropriate thermal insulation material to fulfill requirement.
 28. Opaque wall should meet prescriptive requirement as per Energy Conservation
 29. Building Code which is proposed to be mandatory for all airconditioned spaces while it is aspirational for non-airconditioned spaces by use of appropriate thermal insulation material to fulfill requirement.
 30. The approval of the competent authority shall be obtained for structural safety of
 31. The buildings due to earthquake, adequacy of fire fighting equipments, etc. as per National Building Code including protection measures from lightning etc.
 32. Regular supervision of the above and other measures for monitoring should be in place all through the construction phase, so as to avoid disturbance to the surroundings.
 33. Under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986, legal action shall be initiated against the project proponent if it was found that construction of the project has been started without obtaining environmental clearance.

II. Operation Phase

1. The installation of the Sewage Treatment Plant (STP) should be certified by an independent expert and a report in this regard should be submitted to the SEIAA before the project is commissioned for operation. Treated effluent emanating from STP shall be recycled/reused to the maximum extent possible. Treatment of 100% grey water by decentralized treatment should be done. Discharge of unused treated effluent shall conform to the norms and standards of the Uttar Pradesh Pollution Control Board. Necessary measures should be made to mitigate the odour problem from STP.
2. The solid waste generated should be properly collected and segregated. Wet garbage should be composted and dry / inert solid waste should be disposed off to the approved sites for land filling after recovering recyclable material.
3. Diesel power generating sets proposed as source of back up power for elevators and common area illumination during operation phase should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with Uttar Pradesh Pollution Control Board.
4. Noise should be controlled to ensure that it does not exceed the prescribed standards. During night time the noise levels measured at the boundary of the building shall be restricted to the permissible levels to comply with the prevalent regulations.
5. The green belt of the adequate width and density preferably with local species along the periphery of the plot shall be raised so as to provide protection against particulates and noise.
6. Weep holes in the compound walls shall be provided to ensure natural drainage of rain water in the catchment area during the monsoon period.
7. Rain water harvesting for roof run-off and surface run-off, as plan submitted should be implemented. Before recharging the surface run-off, pre-treatment must be done to remove suspended matter, oil and grease. The borewell for rainwater recharging should be kept at least 5 mts. above the highest ground water table.

8. The ground water level and its quality should be monitored regularly in consultation with Central Ground Water Authority.
9. Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the proposed project site must be avoided. Parking should be fully internalized and no public space should be utilized.
10. A Report on the energy conservation measures conforming to energy conservation norms finalise by Bureau of Energy Efficiency should be prepared incorporating details about building materials & technology, R & U Factors etc and submit to the Ministry in three months time.
11. Energy conservation measures like installation of CFLs/TFLs for the lighting the areas outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning. Use CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination. Use of solar panels may be done to the extent possible.
12. Adequate measures should be taken to prevent odour problem from solid waste processing plant and STP.
13. The building should have adequate distance between them to allow movement of fresh air and passage of natural light, air and ventilation.

PART - B. GENERAL CONDITIONS

1. The environmental safeguards contained in the EIA Report should be implemented in letter and spirit.
2. Provision should be made for supply of kerosene or cooking gas and pressure cooker to the labourers during construction phase.
3. Six monthly monitoring reports should be submitted to DoEn, U.P./UPSEB/ MoEF Regional Office, Lucknow.
4. Officials from DoEn, U.P./UPSEB/ MoEF Regional Office, Lucknow who would be monitoring the implementation of environmental safeguards should be given full cooperation, facilities and documents / data by the project proponents during their inspection.
5. In the case of any change(s) in the scope of the project, the project would require a fresh EC.
6. The SEIAA, UP reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound manner.
7. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department, Forest Conservation Act, 1980 and Wildlife (Protection) Act, 1972 etc. shall be obtained, as applicable by project proponents from the respective competent authorities.
8. These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and control of Pollution) act 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA Notification, 2006.
9. Any appeal against this Environmental Clearance shall lie with the National Environment Appellate Authority, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 11 of the National Environment Appellate Act, 1997.

No construction is to be started without obtaining Prior Environmental Clearance. Concealing factual data and information or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions stipulated in the Prior Environmental Clearance attract action under the provision of Environmental (Protection) Act, 1986.

This environmental clearance is subject to ownership of the site by the project proponents in confirmation with approved Master Plan for Ghaziabad by the competent Authority. In case of violation, it would not be effective and would automatically stand cancelled.

The project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issue of the clearance. The SEIAA/MoEF reserves the right to revoke the environmental clearance, if conditions stipulated are not implemented to the satisfaction of SEIAA/MoEF. SEIAA may impose additional environmental conditions or modify the existing ones, if necessary. Necessary statutory clearances should be obtained.

You are also directed to ensure that the proposed site is not a part of any no-development zone as required/prescribed/identified under law. In case of violation, this permission shall automatically deem to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership or land use of the proposed site, this clearance shall automatically deem to be cancelled.

These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA Notification, 2006 including the amendments and rules made thereafter.

This is to request you to take further necessary action in the matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14.9.2006, as amended and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.


(J.S. Yadav)

Member Secretary, SEIAA

No. / Parva/SEAC/1240/2011/DDY

Dated: As above

Copy for Information and necessary action to:

1. The Principal Secretary, Department of Environment, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. Advisor, IA Division, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
3. Chief Conservator, Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.
5. District Magistrate, Ghazipur, U.P.
6. Deputy Director, Regional Office, Directorate of Environment, Meerut.
7. Copy for Web Master/Guard file.


(O.P. Varma)

Director (I/c)/Secretary, SEAC
Directorate of Environment